सख्या: 17/79-6-2018-304/2010

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2018

विषय: मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुदान सं0-71 के अन्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृतियों की तृतीय किश्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक-म0भो0प्रा0/4825/2017-18 दिनांक 22.12.2017 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर को रू0 1000/-प्रतिमाह प्रति रसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें परिवर्तित फंण्डिग पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता रू0-600/-एवं राज्यांश रू0-400/-प्रति रसोइया होगा। अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0-600/- प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गई संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू0-3332.80 लाख (रू0 तैतीस करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू0-2221.93 लाख (रूपया बाइस करोड़, इक्कीस लाख, तिरानबे हजार मात्र) अर्थात कुल रू0-5554.73 लाख (रूपये पचपन करोड़ चौवन लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि तृतीय किस्त के रूप में संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2- उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन-तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्यान्ह भोजन निधि से उपलब्ध कराया जायेगा जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था को इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जायेगा।

4- मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैक खाते से कुक कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा एवं इस हेतु सम्बन्धित कुक कम हेल्पर का बचत खाता बैंक में खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

--2/

budget. RP 2017

Scanned by CamScanner

5– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा –112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0103–कुकिंग लागत आदि (के.60 / रा.40–के+रा0)–20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

6– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के आदेश संख्या–08 / 2017 / बी–1–1190 / दस–2017–231 / 2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–17(1) / 79–6–2018–304 / 2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– निदेशक,मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0।
2– श्रम आयुक्त कानपुर ।
4– निदेशक, कोषागार उ0प्र0,लखनऊ।
5– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
7– नियोजन अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन।
8– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
9– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
10– वित्त नियंत्रक, म0भो0प्रा0 / बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद।
11– सम्बन्धित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक,उ0प्र0।
12– सम्बन्धित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0।
13– सम्बन्धित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा विभाग) उ0प्र0।
14– राज्य परियोजना निदेशक महिला समाख्या,उ0प्र0 लखनऊ।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव ।

Scanned by CamScanner

संख्या: 17/79-6-2018-304/2010

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 16 जनवरी, 2018

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुदान सं0-71 के अन्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृतियों की तृतीय किश्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक-म0भो0प्रा0/4825/2017-18 दिनांक 22.12.2017 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर को रू0 1000/-प्रतिमाह प्रति रसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें परिवर्तित फंण्डिग पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता रू0-600/-एवं राज्यांश रू0-400/-प्रति रसोइया होगा। अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0-600/- प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गई संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू0-3332.80 लाख (रू0 तैतीस करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू0-2221.93 लाख (रूपया बाइस करोड़, इक्कीस लाख, तिरानबे हजार मात्र) अर्थात कुल रू0-5554.73 लाख (रूपये पचपन करोड़ चौवन लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि तृतीय किस्त के रूप में संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2- उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन-तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्यान्ह भोजन निधि से उपलब्ध कराया जायेगा जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था को इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जायेगा।

4- मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैक खाते से कुक कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा एवं इस हेतु सम्बन्धित कुक कम हेल्पर का बचत खाता बैंक में खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

--2/

budget. RP 2017

Scanned by CamScanner

5– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा –112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0103–कुकिंग लागत आदि (के.60 / रा.40–के+रा0)–20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

6– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के आदेश संख्या–08 / 2017 / बी–1–1190 / दस–2017–231 / 2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–17(1) / 79–6–2018–304 / 2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– निदेशक,मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0।
2– श्रम आयुक्त कानपुर ।
4– निदेशक, कोषागार उ0प्र0,लखनऊ।
5– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
7– नियोजन अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन।
8– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
9– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
10– वित्त नियंत्रक, म0भो0प्रा0 / बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद।
11– सम्बन्धित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक,उ0प्र0।
12– सम्बन्धित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0।
13– सम्बन्धित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा विभाग) उ0प्र0।
14– राज्य परियोजना निदेशक महिला समाख्या,उ0प्र0 लखनऊ।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव ।

budget. RP 2017

Scanned by CamScanner

Enclosure of G.O.

[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper
FY 2017-18: Grant-71, PLAN: IIIrd Installment

(Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of cook-cum-helper in GENERAL Category	No. of Months for which fund is to being released	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 3rdInstallment		
				Central Share	State Share	Total
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	01-Agra	4747	2	56.96	37.98	94.94
2	02-Aligarh	4124	2	49.49	32.99	82.48
3	03-Allahabad	6409	2	76.91	51.27	128.18
4	04-Ambedkar nagar	3632	2	43.58	29.06	72.64
5	05-Auraiya	3139	2	37.67	25.11	62.78
6	06-Azamgarh	5574	2	66.89	44.59	111.48
7	07-Badaun	5026	2	60.31	40.21	100.52
8	08-Baghpat	1366	2	16.39	10.93	27.32
9	09-Bahraich	7325	2	87.90	58.60	146.50
10	10-Ballia	5231	2	62.77	41.85	104.62
11	11-Balrampur	4085	2	49.02	32.68	81.70
12	12-Banda	3787	2	45.44	30.30	75.74
13	13-Barabanki	6502	2	78.02	52.02	130.04
14	14-Barelly	6039	2	72.47	48.31	120.78
15	15-Basti	4359	2	52.31	34.87	87.18
16	16-Bhadohi	2110	2	25.32	16.88	42.20
17	17-Bijnour	3942	2	47.30	31.54	78.84
18	18-Bulandshahar	3564	2	42.77	28.51	71.28
19	19-Chandauli	2200	2	26.40	17.60	44.00
20	20-Chitrakoot	2274	2	27.29	18.19	45.48
21	21-Amethi	3376	2	40.51	27.01	67.52
22	22-Deoria	3847	2	46.16	30.78	76.94
23	23-Etah	3764	2	45.17	30.11	75.28
24	24-Faizabad	4157	2	49.88	33.26	83.14
25	25-Farrukhabad	4181	2	50.17	33.45	83.62
26	26-Fatehpur	4479	2	53.75	35.83	89.58
27	27-Firozabad	3721	2	44.65	29.77	74.42
28	28-G.B. Nagar	165	2	1.98	1.32	3.30
29	29-Ghazipur	5540	2	66.48	44.32	110.80
30	30-Ghaziyabad	1060	2	12.72	8.48	21.20
31	31-Gonda	6595	2	79.14	52.76	131.90
32	32-Gorakhpur	4860	2	58.32	38.88	97.20
33	33-Hameerpur	1931	2	23.17	15.45	38.62
34	34-Hardoi	8142	2	97.70	65.14	162.84
35	35-Hathras	2082	2	24.98	16.66	41.64
36	36-Itawah	3574	2	42.89	28.59	71.48
37	37-J.P. Nagar	2330	2	27.96	18.64	46.60
38	38-Jalaun	2899	2	34.79	23.19	57.98
39	39-Jaunpur	7701	2	92.41	61.61	154.02
40	40-Jhansi	2653	2	31.84	21.22	53.06
41	41-Kannauj	3863	2	46.36	30.90	77.26
42	42-Kanpur Dehat	4462	2	53.54	35.70	89.24
43	43-Kanpur Nagar	3039	2	36.47	24.31	60.78
44	44-Kaas Ganj	3010	2	36.12	24.08	60.20
45	45-Kaushambi	2032	2	24.38	16.26	40.64
46	46-Kushinagar	4951	2	59.41	39.61	99.02

22-12-17

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ0प्र0 लखनऊ

Scanned by CamScanner

Sl. No.	Districts	No. of cook-cum-helper in GENERAL Category	No. of Months for which fund is to being released	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 3rdInstallment		
				Central Share	State Share	Total
1	2	3	4	5	6	7=5+6
47	47-Lakhimpur Kheri	7415	2	88.98	59.32	148.30
48	48-Lalitpur	3491	2	41.89	27.93	69.82
49	49-Lucknow	1922	2	23.06	15.38	38.44
50	50-Mahoba	1938	2	23.26	15.50	38.76
51	51-Mahrajganj	3704	2	44.45	29.63	74.08
52	52-Mainpuri	3940	2	47.28	31.52	78.80
53	53-Mathura	163	2	1.96	1.30	3.26
54	54-Mau	2425	2	29.10	19.40	48.50
55	55-Meerut	1644	2	19.73	13.15	32.88
56	56-Mirzapur	3908	2	46.90	31.26	78.16
57	57-Moradabad	2225	2	26.70	17.80	44.50
58	58-Muzaffarnagar	2156	2	25.87	17.25	43.12
59	59-Pilibhit	2926	2	35.11	23.41	58.52
60	60-Pratapgarh	5947	2	35.68	23.79	59.47
61	61-Rai Bareily	4163	2	49.96	33.50	83.26
62	62-Rampur	2948	2	35.38	23.58	58.96
63	63-Saharanpur	2597	2	31.16	20.78	51.94
64	64-Santkabir Nagar	2518	2	30.22	20.14	50.36
65	65-Shahjahanpur	6116	2	73.39	48.93	122.32
66	66-Shrawasti	2336	2	28.03	18.69	46.72
67	67-Siddharthnagar	4974	2	59.69	39.79	99.48
68	68-Sitapur	7832	2	93:98	62.66	156.64
69	69-Sonbhadra	2477	2	29.72	19.82	49.54
70	70-Sultanpur	4439	2	53.27	35.51	88.78
71	71-Unnao	5042	2	60.50	40.34	100.84
72	72-Varanasi	2498	2	29.98	19.98	49.96
73	73-Sambhal	2739	2	32.87	21.91	54.78
74	74-Hapur	1024	2	12.29	8.19	20.48
75	75-Shamli	1354	2	16.23	10.85	27.08
	Total	280710	2	3332.80	2221.93	5554.73

(जनार्दन प्रसाद)
लेखाकार
मध्यान्ह भोजन प्रधिकरण
उ० प्र०, लखनऊ

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ०प्र० लखनऊ

उप सचिव
उ०प्र० शासन

Scanned by CamScanner